

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ३१४ राँची, सोमवार,

2**6** वैशाख, 1938 (श॰)

16 मई, 2016 (ई॰)

विधि (विधान) विभाग ।

अधिसूचना

13 मई, 2016

संख्या-एल0जी0-10/2016-90/लेज0--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 06 मई, 2016 को अनुमित दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

अमिटी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016

(झारखण्ड अधिनियम-13,2016)

प्रस्तावना

झारखण्ड राज्य में अमिटी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं समावेश के लिए और उससे सम्बद्ध एक निजी विश्वविद्यालय के आनुषंगिक मामलों की स्थिति प्रदान करने हेत् एक अधिनियम; जबिक यह समयोचित है कि सिमिति के निबंधक, दिल्ली (न्यास एवं सिमिति) के तहत सृजित एवं पंजीकृत रीतनन्द बलवेद एजुकेशन फाउन्डेशन ए.के.सी. हाउस, ई-27, डिफेन्स कॉलोनी, रिंग रोड, नई दिल्ली-110024 (पंजीयन संख्या-एस/16683, मई,1986) द्वारा प्रायोजित अिमटी विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड की स्थापना तथा समावेशन और उसके अनुरूप निजी विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु और उससे संबद्ध आनुषंगिक मामलों के संदर्भ में आवश्यक है।

एतद्द्वारा भारतीय गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में झारखण्ड विधान-सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:-

- 1) यह अधिनियम "**अमिटी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016**" कहा जाएगा।
- 2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- 3) यह उस तिथि से प्रवृत होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नियत किया जाय।

2. परिभाषा:-

अगर इस अधिनियम के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित/आवश्यक होः

- a) 'अकादिमक परिषद्' का अर्थ है विश्वविद्यालय की अकादिमक परिषद् जैसा कि अधिनियम की धारा-24 में वर्णित है;
- b) 'वार्षिक प्रतिवेदन' का आशय है विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन जैसा अधिनयम की धारा- 39 में संदर्भित है;
- c) 'प्रबंधन' बोर्ड' का अर्थ है, इस अधिनियम की धारा-23 के तहत गठित विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड;
- d) 'परिसर' का आशय है विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल जहाँ यह अवस्थित है;
- e) 'कुलाधिपति' से आशय है विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जो इस अधिनियम की धारा-12 के अधीन नियुक्त हों;
- f) 'मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी' का अर्थ है विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी जो अधिनियम की धारा-18 के अधीन नियुक्त हों;

- g) 'परीक्षा नियंत्रक' का अर्थ है विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-19 के अधीन हुई हो;
- h) 'अंगीभूत महाविद्यालय' से आशय है वैसे महाविद्यालय अथवा संस्थान जो विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित हों;
- i) 'कर्मचारी' से आशय है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी; इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी भी समाहित हैं;
- j) 'स्थायी निधि' का अर्थ है विश्वविद्यालय की स्थायी निधि जिसकी स्थापना अधिनियम की धारा-37 के तहत हुई हो;
- k) 'संकाय' से आशय है समान अनुशासनों के अकादमिक विभाग;
- (शुल्क' का आशय है विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से उगाही गयी राशि, जो किसी पाठ्यक्रम तथा उससे संबंधित हो;
- m) 'सामान्य निधि' से आशय है विश्वविद्यालय की सामान्य निधि, जिसकी स्थापना अधिनियम की धारा-38 के अन्तर्गत हुई हो;
- n) 'शासी निकाय' का अर्थ है विश्वविद्यालय का शासी निकाय, जिसका गठन अधिनियम की धारा-22 के तहत हुआ हो;
- ंराष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् से आशय है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, बेंगलुरू, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत संस्था;
- p) 'विहित'/'नियत' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत विहित/नियत परिनियम और नियमावली;
- q) 'प्रति-कुलपति' का अर्थ है विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-15 के तहत हुई हो;
- r) 'कुलसचिव' का अर्थ है विश्वविद्यालय के कुलसचिव, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-17 के तहत हुई हो;
- s) 'नियंत्री निकाय' का आशय है भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के अकादिमिक स्तर के सुनिश्चयन हेतु मानकों एवं शर्तों के निर्धारण के लिए स्थापित निकाय, यथा- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद्, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, भारतीय निर्संग परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध परिषद्

आदि तथा इसके अलावा सरकार अथवा कोई वैसा निकाय, जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया हो;

- t) 'नियमावली' से आशय है इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमावली;
- u) 'अनुसूची' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत संलग्न अनुसूची;
- v) विश्वविद्यालय से संबंधित 'प्रवर्तक निकाय' का अर्थ है:
 - i) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत कोई संस्था, अथवा
 - ii) इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882 के अधीन पंजीकृत कोई लोक न्यास, अथवा
 - iii) किसी राज्य की विधि के अनुरूप पंजीकृत कोई संस्था या न्यास।
- w) 'राज्य सरकार' से आशय है झारखण्ड की राज्य सरकार;
- x) 'परिनियम' 'अध्यादेश' और 'विनियम' का क्रमशः आशय है, परिनियम, अध्यादेश और विनियम जो इस अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित हों;
- y) 'विश्वविद्यालय के विद्यार्थी' का अर्थ है विश्वविद्यालय में उपाधि, डिप्लोमा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अन्य अकादिमक विशिष्टता प्राप्त करने हेतु एक पाठ्यक्रम में नामांकित व्यक्ति, जिसमें शोध-उपाधि भी शामिल है;
- रशिक्षक' से आशय है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर अथवा इस तरह के अन्य व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय या किसी अंगीभूत महाविद्यालय या संस्था में निर्देशित करने (शिक्षण) अथवा शोधकार्य संचालन हेतु हुई हो, इसके तहत अंगीभूत महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रधानाचार्य भी सम्मिलित हैं, जिनकी संपुष्टि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत हुई हो;
- aa) 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' से आशय है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;
- ab) 'विश्वविद्यालय' का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत झारखण्ड में स्थापित **अमिटी विश्वविद्यालय**;
- ac) 'कुलपति' से आशय है विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनकी नियुक्ति इस अधिनियम की धारा-13 के तहत हुई हो;
- ad) 'विजिटर'/'अतिथि'/'आगंतुक' से आशय है विश्वविद्यालय के विजिटर/अतिथि/आगंतुक यथा इस अधिनियम की धारा-10 में वर्णित है।

3. विश्वविद्यालय की स्थापना:-

- (1) विश्वविद्यालय की स्थापना अमिटी विश्वविद्यालय के नाम से होगी।
- (2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत होगा तथा यह रांची में अवस्थित होगा।
- (3) प्रवर्तक निकाय को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किये जाने के बाद ही विश्वविद्यालय का संचालन आरंभ किया जायेगा।
- (4) इस अधिनियम की अनुसूची 'ए' में सिम्मिलित शर्तों को विश्वविद्यालय निर्धारित समयाविध में पूरा करेगा।
- (5) विश्वविद्यालय के शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद्, कुलाधिपित, कुलपित, प्रति कुलपित, कुलसिवव, शिक्षक, मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी या सदस्य या प्राधिकारी एतद्द्वारा विश्वविद्यालय के नाम से गठित निकाय बनाएंगे जब तक वे इस पद पर है अथवा उनकी सदस्यता बनी रहेगी।
- (6) विश्वविद्यालय एक असम्बद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेंगे और वे किसी भी महाविद्यालय या संस्थान में नामांकित विद्यार्थियों को उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु सबद्धता नहीं दे सकेंगे।
- (7) प्रवर्तक निकाय के अंगीभूत महाविद्यालय और संस्थान, जो सम्बद्धता प्राप्त हैं और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार का उपयोग कर रहे हैं वे इस अधिनियम के प्रभावी होने के साथ ही उस विश्वविद्यालय से असम्बद्ध हो जाएंगे, उनकी ऐसी सुविधाएँ इस अधिनियम के लागू होने के साथ समाप्त हो जाएंगी और अमिटी विश्वविद्यालय के प्रवर्तक निकाय द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के साथ ऐसे महाविद्यालय और संस्थान उस अमिटी विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय या संस्थान बन जाएंगे।
- (8) अमिटी विश्वविद्यालय नाम से एक निकाय होगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उसके पास सतत् पद-प्राप्ति अनुक्रम और सामान्य प्रतिज्ञा प्रमाणन की शक्ति होगी, सम्पति ग्रहण करने व उस पर आधिपत्य रखने, उसे अनुबंध/संविदा पर देने अथवा कथित नाम से वाद चलाने के अधिकार होंगे या जिस पर वाद दायर किया जा सकेगा।
- (9) विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

बशर्ते कि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अनुदान या अन्य तरीके से वितीय सहायता दे सकती है:

- a) शोध विकास और अन्य गतिविधियों के लिए जैसे राज्य सरकार के अन्य संगठनों को वितीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है अथवा
- b) विशिष्ट शोध अथवा कार्यक्रम आधारित कोई गतिविधि;

4. विश्वविद्यालय की सम्पति एवं इसके अनुप्रयोग:-

- (1) विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर भूमि और अन्य चल एवं अचल सम्पितयाँ, जो झारखण्ड राज्य में विश्वविद्यालय के उद्देश्य (पूर्ति) के लिए अधिग्रहित, सृजित, व्यवस्थित या निर्मित की जाती हैं, वे विश्वविद्यालय में निहित होंगी।
- (2) विश्वविद्यालय द्वारा भूमि, भवन और अन्य अधिग्रहित सम्पतियाँ किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी सिवा जिस उद्देश्य के लिए वे अधिग्रहित की गयी हैं।
- (3) विश्वविद्यालय की चल अथवा अचल सम्पतियों का प्रबंधन शासी निकाय द्वारा विनियमों में प्रदत्त रीति के अनुरूप किया जायेगा।
- (4) उप धारा-(1) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के नाम से हस्तांतरित सम्पति को विश्वविद्यालय के विघटन अथवा समापन के फलस्वरूप निर्धारित ढंग से नियमावली में वर्णित तरीके से प्रयुक्त किया जाएगा।

5. विश्वविद्यालय के निर्वंधन/अवरोध और बाध्यताएँ:-

- 1) विश्वविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, यथा-अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा-शास्त्र, प्रबंधन आदि के लिए शिक्षण-शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समय-समय पर नियामक निकाय, जैसा वह उचित समझेगी, के पर्यवेक्षण में किया जाएगा।
- 2) विश्वविद्यालय में नामांकन पूरी तरह योग्यता के आधार पर होगा। विश्वविद्यालय में नामांकन की योग्यता का निर्धारण प्राप्तांक या अर्हता परीक्षा में प्राप्त ग्रेड और पाठ्येतर और अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों अथवा राज्य स्तर पर विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों के संगठन या राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा समान पाठ्यक्रमों के लिए संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर किया जाएगा।

बशर्ते कि विश्वविद्यालय के व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालयों अथवा संस्थानों में नामांकन नियंत्री निकाय के प्रावधानों द्वारा शासित/नियमित हो।

- 3) निर्धन एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय को शिक्षण शुल्क में पूरी क्षमता के कम से कम पाँच प्रतिशत को मेधा छात्रवृति की अनुमित देनी होगी। निर्धनता तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की कसौटी का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किया जा सकेगा।
- 4) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या के पच्चीस प्रतिशत सीटों पर झारखण्ड राज्य के अधिवासी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान विश्वविद्यालय को करना होगा। सीटों के आरक्षण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय-समय पर जारी आदेशों के द्वारा किया जायेगा।
- 5) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर पदों के कम से कम पचास प्रतिशत शिक्षकेतर पदों को झारखण्ड राज्य के अधिवासी लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान रखना होगा। सीटों के आरक्षण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय-समय पर जारी आदेशों के द्वारा किया जायेगा।
- 6) विश्वविद्यालय को अकादिमिक स्तर को बनाये रखने के लिए यथेष्ट/पर्याप्त संख्या में शिक्षकों एवं अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन शिक्षकों या अधिकारियों की योग्यता प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा निर्धारित मानक से निम्न न हो।
- 7) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम सूचनाएँ विद्यार्थियों एवं अन्य पणधारियों के हित में सार्वजनिक करनी होगी, जैसे कि संचालित पाठ्यक्रम, अलग-अलग कोटि (श्रेणी) के तहत सीटें, शुल्क एवं अन्य परिव्यय, प्रदत सह्लियतें एवं सुख सुविधाएँ, उपलब्ध संकाय/प्राध्यापक वर्ग एवं अन्य प्रासंगिक सूचनाएँ।
- 8) परिनियमों में वर्णित रीति के अनुरूप विश्वविद्यालय प्रत्येक अकादिमक वर्ष में उपाधि, डिप्लोमा प्रदान करने एवं अन्य उद्देश्य से दीक्षांत समारोह आयोजित कर सकेगा।
- 9) विश्वविद्यालय को स्थापना के पाँच वर्षों के भीतर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) से प्रत्यायन प्राप्त करना होगा और भारत सरकार की अन्य नियामक संस्थाएँ, जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध हैं, के द्वारा प्रदत्त ग्रेड की सूचना राज्य सरकार को देनी होगी। विश्वविद्यालय को समय-समय पर ऐसे प्रत्यायन का नवीकरण कराना होगा।
- 10) इतना होते हुए भी इस अधिनियम की अनुसूची 'A' में उल्लिखित शर्तों और भारत सरकार की नियामक संस्थाओं के नियमों, विनियमों, मानदण्डों आदि का इन संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सह्लियतों था सहयोग व कर्तव्यों के निष्पादन एवं कार्य को जारी रखने के लिए उन संस्थाओं को जैसी आवश्यकता होगी, विश्वविद्यालय के लिए इनका अनुपालन बाध्यकारी होगा।

6. विश्वविद्यालय के उद्देश्य:-

विश्वविद्यालय का उद्देश्य अनुदेशनात्मक, शोध तथा प्रसार एवं ऐसी अधिगम की शाखाओं के द्वारा जैसा वो उपयुक्त समझे, ज्ञान तथा कौशलों को बढ़ाना तथा विस्तार करना होगा और विश्वविद्यालय यह प्रयत्न करेगा कि विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को निम्निलिखित के लिए आवश्यक माहौल तथा स्विधाएँ उपलब्ध करायी जायें:-

- व) पाठ्यक्रम का मुख्य शिक्षा में पुनर्निर्माण एवं नवाचार, शिक्षण के नवीन तरीके, प्रशिक्षण तथा
 अधिगम ऑनलाइन अधिगम सिहत, सिम्मिश्रित अधिगम, सतत् शिक्षा एवं अन्य तरीके तथा
 एकीकृत एवं व्यक्तित्व का हितकर विकास;
- b) विविध अनुशासनों में अध्ययन;
- c) अंतर अनुशासनिक अध्ययनः
- d) राष्ट्रीय अखंडता, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक समता तथा अन्तरराष्ट्रीय मेलमिलाप एवं नीतिशास्त्र।

7. विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग, रंग, पंथ, अथवा मत से परे सबके लिए खुला होगा:-

किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय अथवा उसके किसी अन्य प्राधिकार की सदस्यता से अथवा किसी डिग्री, डिप्लोमा अथवा अन्य अकादिमक वैशिष्ट्य पाठ्यक्रम में नामांकन से लिंग, मत, वर्ग, जाति, जन्म के स्थान और धार्मिक विश्वास अथवा राजनीतिक या अन्य मतवाद के आधार पर पक्षपात या भेदभाव कर वंचित नहीं किया जाएगा।

8. विश्वविद्यालय के कार्य एवं शक्तियाँ:-

- (i) विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं प्रबंधन, इसके अंगीभूत महाविद्यालयों का प्रशासन एवं प्रबंधन तथा शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण के केन्द्रों का विस्तार एवं सतत् शिक्षा, दूरस्थ अधिगम एवं ई-लर्निंग के विस्तार एवं पहुँच को इसके झारखण्ड राज्य में अवस्थित परिसर में संचालन व प्रबंधन;
- (ii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा-शास्त्र, प्रबंधन, वाणिज्य, विधि, फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य क्षेत्रों में शोध, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षण- प्रशिक्षण, सतत् शिक्षा, दूरस्थ अधिगम एवं ई-लर्निंग के संसाधनों को उपलब्ध कराना;
- (iii) शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में नवाचारी प्रयोग, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग एवं वैसी संस्थाओं को संयुक्त कार्यक्रमों का प्रस्ताव देना जिससे शिक्षा के वितरण एवं अन्तरराष्ट्रीय मानकों को विकसित एवं प्राप्त करने में निरंतरता रहे;

- (iv) शिक्षा प्रदान करने में लचीलेपन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एवं प्रणाली में इलेक्ट्रानिक एवं दूरस्थ अधिगम विहित करना;
- (v) परीक्षा का आयोजन तथा किसी व्यक्ति के नाम विश्वविद्यालय द्वारा तय शर्तों के साथ उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य अकादिमक विशिष्टता प्रदान करना अथवा विनियमों में वर्णित तरीके से उस उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य अकादिमक विशिष्टता या नाम को वापस लेना;
- (vi) फेलोशिप (शिक्षावृत्ति), छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार स्थापित एवं प्रदान करना;
- (vii) परिनियम में वर्णित तरीके के अनुरूप मानद उपाधि या अन्य विशिष्टता प्रदान करना;
- (viii) उद्देश्यों की प्राप्ति में आवश्यक सहायता के लिए स्कूल, केन्द्र, संस्थान, महाविद्यालय की स्थापना और विश्वविद्यालय के मतानुसार कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों का आयोजन;
- (ix) विश्वविद्यालय के मतानुसार शिक्षा प्रदान करने व प्रयोजनों के प्रोत्साहन के लिए किसी महाविद्यालय, केन्द्र, संस्थान को अंगीभूत महाविद्यालय घोषित करना या नये अंगीभूत महाविद्यालय, केन्द्र, संस्थान की स्थापना करना;
- (x) शोध, शिक्षण सामग्री एवं अन्य कार्यों के लिए मुद्रण, प्रकाशन एवं पुनरूत्पादन हेतु प्रबंधन एवं प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन;
- (xi) ज्ञान संसाधन केन्द्र की स्थापना;
- (xii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा, प्रबंधन, वाणिज्य, विधि, फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रायोजन एवं दायित्व वहन करना;
- (xiii) समान उद्देश्यों के लिए किसी शैक्षिक संस्थान के साथ सहयोग व संबद्धता;
- (xiv) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आभासी (वर्चुअल) परिसर समेत परिसरों की स्थापना;
- (xv) पेटेन्ट प्रकृति के शोध, योजना अधिकारों एवं ऐसे समान अधिकारों के साथ सक्षम प्राधिकारों से अनुसंधान के संबंध में पंजीकरण का दायित्व लेना;
- (xvi) विश्वविद्यालय के आंशिक अथवा पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु दुनिया के किसी भी हिस्से के शैक्षिक एवं अन्य संस्थानों, विश्वविद्यालयों के साथ विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों के आदान- प्रदान के द्वारा संबंध अथवा सहयोग बनाना जैसा वो उचित समझे;

- (xvii) अनुसंधान, प्रशिक्षण, परामर्श तथा इस प्रकार की अन्य सेवाएँ देना, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो;
- (xviii) शिक्षकों, शोधार्थियों, प्रशासकों एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा, प्रबंधन, विधि, वाणिज्य, फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवा एवं सम्बद्ध क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच विश्वविद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संबंध बनाये रखना;
- (xix) महिलाओं एवं अन्य वंचित विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यथासंभव वांछनीय विशेष व्यवस्था करने पर विचार:
- (xx) विश्वविद्यालय के व्यय का नियमन, वित्त का प्रबंधन एवं लेखा का रख-रखाव;
- (xxi) विश्वविद्यालय के उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए हस्तांतरण द्वारा निधि, चल एवं अचल सम्पत्ति, उपस्कर, सॉफ्टवेर एवं अन्य संसाधनों को व्यवसाय, उद्योग, समाज के अन्य वर्गों, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संगठनों अथवा किसी अन्य स्रोत से उपहार, दान, उपकार या वसीयत के रूप में प्राप्त करना;
- (xxii) विद्यार्थियों के लिए सभागार, छात्रावास एवं शिक्षकों तथा कर्मचारियों के निवास के लिए आवास का निर्माण, रख-रखाव एवं व्यवस्था;
- (xxiii) खेल, सांस्कृतिक सह-पाठ्यचर्या एवं अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों की उन्नति के लिए केन्द्रों, परिसरों, सभागारों, भवनों, स्टेडियम का निर्माण, प्रबंधन तथा रख-रखाव;
- (xxiv) विश्वविद्यालय के निवासी विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए अनुशासन बनाये रखने और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन, संवर्द्धन हेतु पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा नियमन;
- (xxv) परिनियम द्वारा निर्धारित फीस एवं अन्य शुल्क तय करना, मांगना तथा प्राप्त करना;
- (xxvi) फैलोशिप (शोधवृत्ति), छात्रवृत्ति, पुरस्कार, पदक एवं अन्य पुरस्कारों की स्थापना;
- (xxvii) विश्वविद्यालय आवश्यकता या प्रयोजन को पूरा करने की दृष्टि से किसी भूमि या भवन को खरीदने, पट्टे पर लेने या उपहार व वसीयत, विरासत या अन्य तरीके से कार्य हेतु प्राप्त कर सकेगा और यह उन नियमों व शर्तों के रूप में स्वीकार्य हो सकता है, जिससे किसी भवन को बनाने या कार्य करने, उसमें परिवर्तन करने और रख-रखाव हेतु उचित हो;
- (xxviii) विश्वविद्यालय के हित, गतिविधियों एवं उद्देश्यों की संगति की दृष्टि से जो मान्य हो, उसके अनुरूप विश्वविद्यालय की चल या अचल सम्पति या उसके किसी हिस्से को बेचने, विनिमय, पट्टा या अन्य तरीके से प्रबंधित करना;

- (xxix) निर्माण और समर्थन, कटौती और वार्ता, वचनपत्र नोट, विनियम बिल, चेक और अन्य विनिमेय उपस्कर आकर्षित और स्वीकार करना;
- (xxx) विश्वविद्यालय के सभी खर्चों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की निधि को बढ़ाना और बांड पर उधार लेना, बंधक, वचनपत्र नोट या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों की स्थापना या सम्पूर्ण अथवा विश्वविद्यालय की किसी संपत्ति और परिसम्पत्ति अथवा बिना किसी प्रतिभूति और मान्य नियमों और शर्तों के अनुरूप करना;

9. सम्बद्धता के अवरोधक:-

- 1) विश्वविद्यालय को किसी महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता देने का विशेषाधिकार नहीं होगा।
- 2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा स्थापित ऐसे अन्य नियामक निकायों अथवा केन्द्र या राज्य सरकार, जैसा भी हो, के द्वारा पूर्व स्वीकृति के पश्चात् ही विश्वविद्यालय अपने पिरसर के अलावा कोई दूरवर्ती पिरसर, अपतट पिरसर, अध्ययन केन्द्र, परीक्षा केन्द्र झारखण्ड राज्य के अन्दर या बाहर शुरू कर सकेगा।
- 3) दूरस्थ प्रणाली से पाठ्यक्रमों की शुरूआत केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा स्थापित ऐसी नियामक संस्था की पूर्व स्वीकृति के बाद की जाएगी।

10. आगंतुक (विजिटर):-

- 1) झारखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के विजिटर (आगंतुक) होंगे।
- 2) आगंतुक (विजिटर) जब दीक्षांत समारोह में डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा, चार्टर, ओहदा (पदनाम) और प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए मौजूद रहेंगे तो उसकी अध्यक्षता करेंगे।
- 3) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित किसी संस्थान के शिक्षा के स्तर, अनुशासन, शिष्टाचार और समुचित क्रियाशीलता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आगंतुक को विश्वविद्यालय के भ्रमण/दौरे का अधिकार होगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

- a) कुलाधिपति b) कुलपति
- c) प्रति-कुलपति d) निदेशक/प्रधानाचार्य
- e) कुलसचिव f) मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी

- g) परीक्षा नियंत्रक h) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष
- i) संकायाध्यक्ष j) कुलानुशासक और
- k) विश्वविद्यालय में अन्य ऐसे अधिकारी जो परिनियम द्वारा घोषित किये जाएंगे।

12. कुलाधिपति:-

- गुलाधिपित की नियुक्ति प्रवर्तक निकाय द्वारा पाँच वर्षों की अविध के लिए आगंतुक (विजिटर) के अनुमोदन के पश्चात् निर्धारित प्रक्रियाओं तथा एतद्संबंधी नियमों एवं शर्तों के अनरूप की जाएगी। कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् कुलाधिपित आगंतुक की सलाह के बाद प्रवर्तक निकाय द्वारा पुनर्नियुक्त किये जा सकेंगे।
- 2) कुलाधिपति अपने कार्यालय पद के अधिकार से विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे।
- 3) कुलाधिपित शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और जब आगंतुक (विजिटर) मौजूद नहीं रहेंगे तब उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा या अन्य अकादिमक विशिष्टता प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- कुलाधिपति अपने हाथ से लिखित व प्रवर्तक निकाय को संबोधित कर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
- 5) कुलाधिपति को निम्नलिखित अधिकार होंगे, यथा:
 - a) किसी भी जानकारी या अभिलेख की माँग करने;
 - b) कुलपति की नियुक्ति;
 - c) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कुलपति को हटाने और
 - d) इस अधिनियम या परिनियमों के द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियाँ।

13. कुलपति:-

1) कुलपित की नियुक्ति कुलाधिपित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप करेंगे और ये पाँच साल की अविध के लिए अपने पद पर बने रहेंगे। बशर्ते कि कुलपित पाँच वर्ष की अविध पूरी होने के पश्चात् पाँच वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। शर्त यह रहेगी कि कुलपित के रूप में नियुक्त व्यक्ति 70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपने पद से, कार्यकाल के दौरान या विस्तारित कार्यकाल से सेवानिवृत हो जाएगा।

- 2) कुलपित विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी और अकादिमिक अधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के मामलों में सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेंगे तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारों द्वारा लिए गए फैसलों पर अमल करेंगे।
- 3) आगंतुक (विजिटर) और कुलाधिपति की गैर मौजूदगी में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- 4) कुलपित यदि यह अनुभव करें कि किसी मामले पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार का इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शिक्तयों का इस्तामोल कर सकते हैं और उस प्राधिकार को संबद्ध मामले में कृत कार्रवाई की जानकारी दे सकते हैं।

बशर्ते कि विश्वविद्यालय का प्राधिकार या विश्वविद्यालय की सेवा का अन्य व्यक्ति यदि कुलपित द्वारा कृत कार्रवाई से व्यथित है तो इस उप धारा के तहत इस निर्णय के संप्रेषित होने की तिथि के एक माह के भीतर कुलाधिपित के समक्ष अपील कर सकता है। कुलाधिपित, कुलपित द्वारा की गयी कार्रवाई को संपृष्ट, संशोधित या परिवर्तित कर सकते हैं।

5) कुलपति ऐसी शक्तियों और इस तरह के अन्य कार्य निर्धारित दायरे में कर सकते हैं।

14. कुलपति की पदच्युति:-

- 1) कुलाधिपति को यदि किसी समय किसी जाँच के पश्चात् आवश्यक लगे या प्रतीत हो कि कुलपतिः
 - a) इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश के तहत प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे हों; अथवा
 - b) विश्वविद्यालय के हितों के विपरीत पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर कार्य किये हों, या
 - c) विश्वविद्यालय के मामलों को सुलझाने में अक्षम हों, तो कुलाधिपति यह जानते हुए भी कि कुलपति का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है कारण बताते हुए निर्धारित तिथि से पद से इस्तीफा देने के लिए लिखित आदेश दे सकते हैं।
- 2) उप धारा (1) के तहत विशेष आधार पर कार्रवाई के किसी प्रस्ताव की सूचना दिए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, प्रस्तावित आदेश के खिलाफ कारण बताने का एक समुचित अवसर कुलपति को दिया जाएगा।

15. प्रति-कुलपति:-

 प्रति-कुलपित की नियुक्ति कुलाधिपित द्वारा इस तरीके से और ऐसे कार्यों के लिए प्रदत्त व वर्णित शिक्तयों के तहत की जा सकेगी।

- 2) प्रति कुलपित उप धारा-1 के तहत नियुक्त एक प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों के अलावा अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।
- 3) प्रतिकुलपति कुलपति को उनकी आवश्यकतानुसार उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करेंगे।
- 4) प्रतिकुलपति प्रवर्तक निकाय द्वारा निर्धारित राशि मानदेय के रूप में प्राप्त करेंगे।

16. निदेशक (ों)/प्रधानाचार्य (ो) :-

निदेशकों/प्रधानाचार्यों की नियुक्ति निर्दिष्ट ढंग से तथा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर की जा सकेगी।

17. कुलसचिव :-

- 1) कुलसचिव प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष द्वारा परिनियम में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किये जाएंगे। कुलसचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता को धारण करेंगे।
- 2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों, दस्तावेजों को अभिप्रमाणित करने, प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने तथा समझौता करने की शक्ति होगी तथा वे ऐसी दूसरी शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों को पूरा करेंगे जो उनके लिए निर्दिष्ट किया गया हो।
- 3) कुलसचिव कार्यकारी परिषद् एवं अकादमिक परिषद् के पदेन सदस्य सचिव होंगे लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

18. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी :-

- 1) प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष द्वारा मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी, जैसा परिनियम में निर्दिष्ट हो।
- 2) मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे जैसा कि परिनियम में निर्दिष्ट है।

19. परीक्षा नियंत्रक:-

- 1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा परिनियम के अनुरूप कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- 2) परीक्षा नियंत्रक के दायित्व होंगे:
 - a) परीक्षा को अनुशासित एवं कुशल तरीके से संचालित करना;
 - b) सख्त गोपनीयता की दृष्टि से प्रश्न-पत्रों के चयन की व्यवस्था करनाः

- c) निर्धारित समय-सारिणी के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था करना;
- d) परीक्षा-प्रणाली की निष्पक्षता और विषयनिष्ठता को उन्नत बनाने तथा विद्यार्थियों की योग्यता के सही आकलन की दृष्टि से बेहतर साधन अपनाने के लिए सतत् समीक्षा करना:
- e) कुलपति के द्वारा समय-समय पर सौंपे गए उन सारे दायित्वों का निर्वहन करना जो परीक्षा से संबंधित हों।

20. अन्य अधिकारी:-

छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष और मुख्य कुलानुशासक सिहत विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के दायित्व, शक्तियों और नियुक्ति का तरीका वैसा होगा, जैसा निर्दिष्ट किया गया हो।

21. विश्वविद्यालय के प्राधिकार:-

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे, यथा-

- a) शासी निकाय
- b) प्रबंधन बोर्ड
- c) अकादमिक परिषद्
- d) वित्त समिति
- e) योजना बोर्ड
- f) वैसे अन्य सभी प्राधिकार, जो अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये गये हों।

22. शासी निकाय

- 1) शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा
 - a) कुलाधिपति;
 - b) कुलपति;
 - c) सरकार के सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड अथवा उनका प्रतिनिधि:
 - d) प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो प्रख्यात शिक्षाविद् होंगे;

- e) कुलाधिपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के बाहर से एक व्यक्ति, जो प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ के रूप में होंगे।
- f) कुलाधिपति द्वारा नामित एक वित्त विशेषज्ञ।
- शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकार एवं मुख्य शासी निकाय होगा। इसकी निम्नलिखित शिक्तयाँ होंगी, यथा:
 - a) नियम, परिनियम, अधिनियम अथवा अध्यादेश का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित एवं संचालित करना;
 - b) विश्वविद्यालय के अन्य निर्णयों की समीक्षा करना यदि वे नियमों, अध्यादेशों, कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो;
 - c) विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन तथा बजट को अनुमोदित करना;
 - d) विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन हेतु विस्तृत नीतियों का निर्माण;
 - e) विश्वविद्यालय के विघटन के लिए प्रवर्तक निकाय को अनुशंसा करना, यदि संपूर्ण प्रयास के बाद भी विश्वविद्यालय ठीक ढंग से कार्य संपन्न करने की स्थिति में नहीं हो;
 - f) परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।
- 3) शासी निकाय की बैठक एक कैलेंडर वर्ष में कम-से-कम तीन बार होगी।
- 4) बैठक का कोरम चार होगा:-

बशर्ते उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार के सचिव या उनकी अनुपस्थित में निदेशक, उच्च शिक्षा प्रत्येक बैठक में उपस्थित हों, जिसमें सरकारी नीतियों या निर्देशों से संबंधित निर्णय लिये जाने हों।

23. प्रबंधन बोर्डः-

- (1) प्रबंधन बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों के योग से गठित होगा, यथा
 - a) कुलपति;
 - b) सरकार के सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड अथवा उनके प्रतिनिधि:
 - c) प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित शासी निकाय के दो सदस्य:

- d) प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित तीन सदस्य, जो शासी निकाय के सदस्य नहीं हैं;
- e) शिक्षकों के बीच से प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित तीन सदस्य;
- f) कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक।
- (2) प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष कुलपति होंगे।
- (3) प्रबंधन बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य परिनियम में जैसा निर्दिष्ट है, के अनुरूप होगा।
- (4) प्रबंधन बोर्ड की बैठक का कोरम पाँच होगा:

बशर्ते कि सरकार के सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार अथवा उनकी अनुपस्थित में निदेशक, उच्च शिक्षा प्रत्येक बैठक में उपस्थित हों; जिसमें सरकार की नीतियों/निर्देशों से संबंधित निर्णय लिये जाने हों।

24. अकादमिक परिषद्:-

- अकादिमक परिषद् कुलपित तथा वैसे सदस्यों के योग से बनेगा, जैसा परिनियम में निर्दिष्ट है।
- 2) अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष कुलपति होंगे।
- 3) आकादिमिक परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य अकादिमिक निकाय होगी, जैसा कि अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों में प्रावधान है और यह विश्वविद्यालय की अकादिमिक नीतियों का संयोजन तथा पर्यवेक्षण करेगी।
- 4) अकादमिक परिषद् की बैठक का कोरम परिनियम के निर्देशों के अनुरूप होगा।

25. वित्त समिति:-

- 1) वित्त समिति विश्वविद्यालय की मुख्य वितीय निकाय होगी, जो वित्त संबंधी मामलों की देख-रेख करेगी।
- 2) वित्त समिति का संविधान, शक्तियाँ और कार्य निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

26. योजना बोर्ड:-

1) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बुनियादी ढाँचा और अकादिमक समर्थन प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य परिषदों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है। 2) योजना बोर्ड का संविधान, उसके सदस्यों का कार्यकाल तथा उनकी शक्तियों एवं कार्यों का निर्धारण निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप होगा।

27. अन्य प्राधिकार:-

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों का गठन, शक्तियाँ तथा कार्य निर्देशों के अनुरूप हो सकेगा।

28. किसी प्राधिकार अथवा निकाय की सदस्यता के लिए अयोग्यता:-

कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय की सदस्यता के योग्य नहीं होगा, यदि वहः

- a) यदि वह अस्वस्थ मानस का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;
- b) यदि अम्क दिवालिया है;
- c) यदि नैतिक स्खलन का अपराधी पाया गया है;
- d) किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने अथवा प्रोत्साहित करने के लिए कहीं भी, किसी रूप में दंडित किया गया है।

29. रिक्तियाँ विश्वविद्यालय के प्राधिकार अथवा निकाय के गठन या कार्यवाही को अमान्य नहीं करेंगी:-

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की कार्यवाही सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं की जायेगी कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या संगठन की रिक्ति अथवा संविधान में कोई दोष है।

30. समितियों का गठन:-

विश्वविद्यालय के प्राधिकार ऐसी शर्तों के साथ जो विशेष काम के लिए आवश्यक हों तथा जो परिनियमों द्वारा अनुमोदित हों, ऐसी समितियों का गठन कर सकेंगे।

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

31. प्रथम परिनियम:-

- इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुकूल पहला परिनियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी एक का निर्धारण करेगा, यथा-
 - विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और अन्य निकायों के लिए समय-समय पर गठन,
 शक्तियों और कार्यवाहियों का निर्धारण;
 - b) कुलाधिपति, कुलपति की नियुक्ति की शर्तों और उनकी शक्तियों तथा अधिकारों का निर्धारण;

- c) कुलसचिव और मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया और शर्तों तथा उनकी शक्तियों और कार्य का निर्धारणः
- d) अन्य अधिकारियों तथा शिक्षकों की नियुक्ति की पद्धति और शर्तों तथा शक्तियों और कार्य का निर्धारणः
- e) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों का निर्धारण;
- f) कर्मचारियों अथवा विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के बीच किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मध्यस्थता की प्रक्रिया का निर्धारणः
- q) मानद उपाधियाँ प्रदान करनाः
- h) विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क की अदायगी में छूट और छात्रवृत्ति तथा फेलोशिप प्रदान करने की प्रक्रिया का निर्धारण;
- i) सीटों के आरक्षण के नियम सहित प्रवेश की नीति का निर्धारण; तथा
- j) विद्यार्थियों से लिया जाने वाला शुल्क।
- 2) विश्वविद्यालय का पहला परिनियम शासी निकाय द्वारा बनाया जाएगा और स्वीकृति हेत् राज्य सरकार को समर्पित किया जाएगा।
- 3) विश्वविद्यालय द्वारा समर्पित किए गए पहले परिनियम पर राज्य सरकार विचार करेगी और यथासंभव इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर इसकी स्वीकृति, संशोधनों अथवा बिना संशोधन के जैसा वह आवश्यक समझे, देगी।
- 4) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पहले पिरिनियमों पर विश्वविद्यालय अपनी सहमित संप्रेषित करेगा, अथवा राज्य सरकार द्वारा उप धारा-3 के अंतर्गत किये गये किसी संशोधन या सभी संशोधनों को नहीं लागू करने पर कारण बतायेगा। राज्य सरकार विश्वविद्यालय के सुझावों को मान्य या अमान्य कर सकती है।
- 5) राज्य सरकार ने पहले परिनियम को जिस रूप में अंततः स्वीकार किया है उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी और यह प्रकाशन की तिथि से लागू माना जाएगा।

32. परवर्ती परिनियम:-

- इस अधिनियम और इसके बाद बनाये गये नियमों, विश्वविद्यालय के परवर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी एक के बारे में व्यवस्था दे सकता है, यथा
 - a) विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारों का सृजन;

- b) लेखा नीति और वितीय प्रक्रियाः
- c) विश्वविद्यालयों के प्रधिकारों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व;
- d) नए विभागों का निर्माण और वर्तमान विभागों का उन्मूलन अथवा पुनर्गठन;
- e) पदकों और प्रस्कारों का निर्धारण;
- f) पदों के निर्माण और विलोपन की प्रक्रिया;
- g) श्र्ल्कों का पुनरीक्षण;
- h) विभिन्न विषयों में सीटों की संख्या में बदलाव तथा
- i) अन्य सभी मामलों का परिनियम द्वारा निर्धारण, जो इस अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक हों।
- 2) पहले परिनियम से इतर विश्वविद्यालय के परिनियमों का निर्माण शासी निकाय की सहमित से प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- 3) उप धारा (2) के अंतर्गत निर्मित परिनियम को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे वह स्वीकृत करेगी अथवा यदि आवश्यक समझे तो कुछ संशोधन के लिए परामर्श, परिनियम की प्रिप्त की तिथि से यथासंभव दो महीने के भीतर देगी।
- 4) राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर शासी निकाय विचार करेगा और परिनियमों में किये गये परिवर्तन के प्रति सहमति अथवा राज्य सरकार द्वारा सुझाये संशोधनों पर टिप्पणी के साथ उसे वापस कर देगा।
- 5) राज्य सरकार शासी निकाय द्वारा की गयी टिप्पणियों पर विचार करेगी तथा परिनियमों को बिना संशोधन अथवा संशोधनों के साथ स्वीकृत करेगी और इसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करायेगी जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

33. प्रथम अध्यादेश:-

- 1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों के तहत, प्रथम अध्यादेश सभी मामले या निम्नलिखित में से कोई एक अथवा सभी की व्यवस्था कर सकता है, यथा
 - a) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश और इस रूप में नामांकन;
 - b) विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र के लिए अध्ययन हेतु पाठयक्रम का निर्धारणः

- c) डिग्री, डिपलोमा, प्रमाण पत्र और अन्य अकादिमक वैशिष्ट्य प्रदान करने हेतु न्यूनतम योग्यता;
- d) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, वजीफा, पदक और पुरस्कार हेतु शर्ते;
- e) कार्यालय के नियमों और परीक्षण निकाय, परीक्षकों तथा मध्यस्थों की नियुक्ति के तरीके सहित परीक्षाओं का संचालन;
- f) विभिन्न पाठयक्रमों की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाने वाला शुल्क;
- q) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्ते;
- h) विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी प्रावधान;
- i) विश्वविद्यालय के अकादिमिक जीवन की उन्नित के लिए आवश्यकता अनुभव किये जाने पर किसी निकाय के सृजन, संयोजन और कार्य पर विचार;
- j) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ सहकारिता और सहयोग के तरीके;
- k) ऐसे अन्य मामले जिनकी व्यवस्था अध्यादेश के द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक है;
- विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद कुलाधिपित द्वारा बनाया जाएगा, जिसे अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
- 3) उप धारा (2) के तहत राज्य सरकार कुलाधिपित द्वारा सौंपे गये अध्यादेश पर विचार करेगी और जहाँ तक संभव होगा इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर वह इसे स्वीकृत करेगी या इसमें संशोधन हेतु सुझाव भी देगी।
- 4) कुलाधिपित अध्यादेश के संदर्भ में दिये गये संशोधन के सुझावों को शामिल करेंगे अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये सुझावों को शामिल नहीं करने के कारण बताते हुए प्रथम अध्यादेश को वापस भेजेंगे। यदि कुछ हो तो राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के बाद कुलाधिपित की टिप्पणी पर विचार करेगी और संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश को राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी, और यह प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

34. परवर्ती अध्यादेश:-

- 1) सभी प्रथम अध्यादेशों के अलावा अन्य अध्यादेश अकादिमक परिषद द्वारा बनाये जाएँगे जो शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाएँगे।
- 2) उपधारा (1) के तहत अकादिमिक पिरषिद् द्वारा सौंपे गये अध्यादेश पर जहाँ तक संभव हो राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के दो माह के भीतर विचार करेगी और इसे स्वीकृत कर सकती है या इसमें संशोधन हेत् सुझाव दे सकेगी।
- 3) अकादिमक परिषद् या तो राज्य सरकार के सुझावों के अनुरूप अध्यादेशों को संशोधित करेगी या सुझावों को राज्य सरकार को पुनः उसे वापस सौंपेगी, यदि कोई हो। राज्य सरकार अकादिमक परिषद् की टिप्पणी पर विचार करेगी और अध्यादेशों को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी, और यह प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएगा।

35. विनियम:-

ऐसे प्रत्येक प्राधिकार और ऐसे प्राधिकार द्वारा बनायी गयी समितियों के लिए शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम के अनुकूल नियम, परिनियमों और अधीलिखित अध्यादेशों के संगत विनियम बना सकेंगे।

36. निर्देश देने के राज्य सरकार के अधिकार:-

- 1) शिक्षण के स्तर, परीक्षा और शोध तथा विश्वविद्यालय से संबंद्ध किसी अन्य मामले में राज्य सरकार ऐसे लोगों, जिन्हें वह उपयुक्त समझती है, के द्वारा मूल्यांकन करा सकेगी।
- 2) ऐसे मूल्यांकन के आधार पर सुधार के लिए राज्य सरकार अपनी अनुशंसाएँ विश्वविद्यालय को संप्रेषित करेगी। विश्वविद्यालय ऐसे सुधारात्मक उपाय और प्रयत्न करेगा ताकि इन अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्वित किया जा सके।
- 3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा की गयी अनुशंसा का पालन करने में उचित समयाविध में विफल रहता है तो राज्य सरकार उसे ऐसा निर्देश दे सकेगी जैसा वह उपयुक्त समझे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय अविलंब करेगा।

विश्वविद्यालय की निधियाँ

स्थायी निधि:-

1) उदेदश्य-पत्र में निर्दिष्ट राशि के साथ प्रवर्तक निकाय विश्वविद्यालय के लिए एक स्थायी कोष की स्थापना करेगा।

- 2) विश्वविद्यालय के इस अधिनियम का अनुपालन तथा अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेशों के अनुसार संचालन को सुनिश्वित करने हेतु स्थायी निधि का उपयोग जमानत जमा राशि के रूप में होगा। यदि विश्वविद्यालय अथवा प्रवर्तक निकाय इन अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुक्ल प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है तब राज्य सरकार को यह पूरी राशि अथवा इसका एक हिस्सा/अंश जब्त कर लेने का अधिकार होगा।
- 3) विश्वविद्यालय इस स्थायी कोष से हुई आमदनी का उपयोग विश्वविद्यालय के आधारभूत ढाँचे के विकास के लिए कर सकेगा, विश्वविद्यालय के दिनान्दिन व्यय के लिए नहीं।
- 4) विश्वविद्यालय के विघटन तक स्थायी कोष की राशि ऐसे साधनों में निवेशित की जाएगी जैसा सरकार द्वारा निवेश हेतु निर्देशित किया जाएगा।
- 5) दीर्घाविध की प्रतिभूति की स्थिति में, प्रतिभूतियों का प्रमाण-पत्र सरकार के सुरक्षित संरक्षण में रखा जाएगा और व्यक्तिगत जमा खातों के ब्याज को सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। शर्त यह है कि सरकार के आदेश के बिना यह राशि निकाली नहीं जा सकेगी।

38. सामान्य निधि:-

- विश्वविद्यालय एक कोष की स्थापना करेगा, जिसे सामान्य कोष कहा जाएगा, जिसमें निम्नांकित राशियाँ जमा होंगी:
 - a) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शिक्षण एवं अन्य शुल्कः
 - b) प्रवर्तक निकाय द्वारा प्रदत्त कोई भी राशि;
 - c) अपने लक्ष्य-सिद्धि के क्रम में विश्वविद्यालय के किसी भी उपक्रम, यथा-परामर्श आदि से प्राप्त कोई भी राशि;
 - d) न्यासों, वसीयतों, दान, वृत्तिदान और किसी भी अन्य प्रकार का अनुदान तथा
 - e) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सारी धनराशि।
- 2) सामान्य कोष का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जाएगा, यथा
 - a) इस अधिनियम और परिनियमों, अध्यादेशों और शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति के साथ विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये ऋण तथा उसके ब्याज के भुगतान हेतु;
 - b) विश्वविद्यालय की परिसंपतियों के रख-रखाव हेतु;
 - c) धारा 7 एवं 8 के अंतर्गत विनिर्मित निधियों के लेखा-परीक्षण के लिए भुगतान किया गया शुल्क;

- d) विश्वविद्यालय के पक्ष अथवा विपक्ष में दायर वादों पर हुए खर्च के निष्पादन हेत् ;
- e) अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों एवं शोध-अधिकारियों के वेतन, भत्ते, भविष्य-निधि अंशदान, ग्रैच्यूटी और अन्य सुविधाओं के भुगतान हेतु;
- f) शासी निकाय, कार्यकारी परिषद, अकादिमक परिषद और अन्य प्राधिकारों तथा प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किये गये यात्रा-व्यय एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु;
- g) फेलोशिप, निःशुल्क शिक्षण, छात्रवृत्तियों, असिस्टेंटशिप तथा समाज के कमजोर आर्थिक वर्ग के छात्रों को दिये गये पुरस्कारों और शोध सहायकों, प्रशिक्षुओं अथवा जैसी स्थिति हो अधिनियमों, परिनियमों और नियमों के अनुकूल किसी भी अर्हता प्राप्त विद्यार्थी के भुगतान हेतु;
- h) अधिनियम के प्रावधानों, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा व्यय की गयी किसी भी राशि के भगतान हेत्;
- i) प्रवर्तक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना और इस संदर्भ में किये गये निवेशों की मूल लागत, जो समय-समय पर भारतीय स्टेट बैंक के ऋण प्रदान की दर से अधिक नहीं हो, के भुगतान के लिए।
- j) इस अधिनियम के परिनियमों, नियमों, अध्यादेशों के पालन में विश्वविद्यालय द्वारा किये गये व्यय के भुगतान हेतु;
- k) किसी संस्थान द्वारा विशेष सेवा देने के दायित्व, विश्वविद्यालय को प्रबंधन-सेवा सिहत शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत ऐसे व्ययों अथवा संबंद्ध अन्य कार्यों के भूगतान हेत्;

बशर्ते कि कुल आवर्ती व्यय और उस वर्ष के लिए निर्धारित अनावर्ती व्यय जैसा शासी निकाय द्वारा निश्चित किया गया है, से अधिक व्यय बिना शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जा सकेगा।

लेखा, अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन

39. वार्षिक प्रतिवेदन:-

विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें अन्य मामलों समेत, विश्वविद्यालय द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम शामिल होंगे और इसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा।

40. अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन:-

- 1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा बैंलेस शीट सिहत विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा और वार्षिक लेखा का अंकेक्षण वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय द्वारा इस उद्देश्य से नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा कराया जाएगा।
- 2) वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी होगी।

विश्वविद्यालय को समेटना

41. विश्वविद्यालय का समापनः-

- 1) यदि प्रवर्तक निकाय विधि सम्मत ढंग से इसके गठन तथा निगमीकरण के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वयं को भंग करना चाहे तो इसकी सूचना कम से कम छह महीने पहले राज्य सरकार को देनी होगी।
- राज्य सरकार ऐसी सूचना (भंग करने संबंधी) प्राप्त करने के पश्चात्, जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरुप भंग किये जाने की तिथि से विश्वविद्यालय के प्रशासन की व्यवस्था प्रवर्तक निकाय के विद्यटन के बाद आखिरी सत्र के विद्यार्थियों, जो विश्वविद्यालय में नामांकित हैं, के पाठ्यक्रम पूरा होने तक करेगी और सरकार प्रवर्तक निकाय के स्थान पर विश्वविद्यालय के संचालन के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकेगी, जिसे प्रवर्तक निकाय के अधिकार, कर्तव्य और कार्य सौंपे जाएँगे, जैसा इस अधिनियम में वर्णित है।

42. विश्वविद्यालय का विघटन:-

व) प्रवर्तक निकाय यदि विश्वविद्यालय को भंग करने की इच्छा रखता है, तो उसे राज्य सरकार को एतद्-संबंधी सूचना निर्धारित तरीके से देनी होगी। राज्य सरकार द्वारा यथोचित विचार के पश्चात् निर्धारित तरीके से विश्वविद्यालय को विघटित किया जा सकेगा।

बशर्ते कि विश्वविद्यालय का विघटन तभी प्रभावी होगा जब तक कि नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता है और उन सबको डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा अथवा जिस तरह के विषय हों, प्राप्त हो जाएँ।

- b) जैसा कि तरीका निर्धारित है विश्वविद्यालय का विघटन होने पर उसकी सभी संपतियाँ और देनदारियाँ प्रवर्तक निकाय में निहित होंगी।
- c) उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार यदि विश्वविद्यालय को विघटित करने का निर्णय लेती है, तो निर्धारित तरीके से समान उद्देश्य वाली सोसाइटियों में विश्वविद्यालय के विघटन तक उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत इसके शासी निकाय की शक्तियाँ निहित कर सकेगी।

43. विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशिष्ट शक्तियाँ:-

- 1) राज्य सरकार की यदि यह राय है कि विश्वविद्यालय ने अधिनियमों, नियमों, परिनियमों अथवा अध्यादेशों में से किसी का उल्लंघन किया है और वितीय कुप्रबंधन अथवा कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उत्पन्न हो गयी है, तो वह विश्वविद्यालय को कारण बताओ सूचना जारी कर पैंतालीस दिनों के भीतर इस आशय का उत्तर मांगेगी कि क्यों नहीं एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाय।
- 2) विश्वविद्यालय द्वारा उपधारा (1) के अंतर्गत दी गयी सूचना पर दिये गये उत्तर से यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के किसी भी प्रावधान का प्रथम दृष्टया उल्लंघन हुआ है अथवा इस अधिनियम के द्वारा दिये गये निर्देशों के प्रतिकूल वित्तीय कुप्रबंधन अथवा कु-प्रशासन है तो वह ऐसी जाँच करायेगी, जिसे वह आवश्यक समझे।
- 3) उप-धारा (2) के तहत राज्य सरकार ऐसी किसी जाँच के उद्देश्य से जाँच-अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त करेगी, जो किसी भी आरोप पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- 4) उप-धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त जाँच अधिकारी या अधिकारियों के पास वही शक्तियाँ होंगी जो दीवानी अदालत द्वारा दीवानी वाद के मामलों की सुनवाई के दौरान दीवानी प्रक्रिया, 1908 में प्रदत्त हैं, यथा
 - a) किसी व्यक्ति को बुलाने और उसकी हाजिरी को अनिवार्य करने और शपथ दिलाकर उनकी जाँच करना;
 - b) प्रमाण के लिए आवश्यक खोज और ऐसे दस्तावेज या दूसरी अन्य सामग्री प्रस्तुत करने का निर्देश देना;
 - c) किसी भी अदालत या कार्यालय से कोई दस्तावेज मंगाना।
- 5) उप-धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के प्रावधान के सभी अथवा किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है, नियमों, परिनियमों अथवा अध्यादेशों का उल्लंघन किया है अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों का उल्लंघन किया है या वित्तीय कु-प्रबंधन और कुशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में ऐसी हो गयी है कि उसके अकादिमिक स्तर पर प्रश्न-चिह्न खड़ा हो गया हो, तो सरकार एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है।
- 6) उप-धारा (5) के अंतर्गत नियुक्त प्रशासक इस अधिनियम के तहत बनाये गये शासी निकाय अथवा प्रबंधन बोर्ड के सारे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और तब तक विश्वविद्यालय की गतिविधियों का

संचालन करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता और उन्हें डिग्रियाँ या डिप्लोमा न दे दी जायँ।

- 7) आखिरी सत्र को डिग्रियाँ या डिप्लोमा या जैसी स्थिति हो, के प्रदान के बाद प्रशासक इस आशय की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा।
- 8) उप-धारा (7) के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय को विघटित कर देगी और विश्वविद्यालय के विघटन के बाद इसकी सारी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ प्रवर्तक निकाय में निहित हो जाएंगी।

अन्यान्य

44. नियम बनाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति:-

- 1) इस अधिनियम के उद्देश्यों के निर्वहन के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार नियम बनाएगी।
- 2) राज्य विधानमंडल के समक्ष इस धारा के अंतर्गत बनाये गये सारे नियमों को कम से कम 30 दिनों के लिए रखा जाएगा और राज्य विधानमंडल को यह अधिकार होगा कि वह इसका निरसन कर दे अथवा अपेक्षित परिवर्तन कर दे अथवा ऐसे परिवर्तन जिसे विधानमंडल के उसी सत्र में या उसके ठीक बाद वाले सत्र में किया गया हो।

45. विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का समापन:-

इस अधिनियम अथवा परिनियम में किसी बात के होते हुए भी अंगीभूत महाविद्यालयों अथवा विश्वविद्यालय की अनुसूची में विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के लागू होने के तुरत पहले कोई भी अध्ययनरत विद्यार्थी या जो इस विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में सिम्मिलित होने का अधिकारी था उसे अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमित दी जाएगी और ऐसे विद्यार्थियों के शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षा की जिम्मेदारी संबद्घ विश्वविद्यालय पर तब तक होगी जैसा निर्दिष्ट किया गया हो।

46. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति:-

1) यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान को लागू करने में किठनाई उपस्थित हो रही हो तो शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किठनाइयों को शीघ्र दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी।

बशर्ते इस अधिनियम के प्रारंभ के तीन वर्षों के बाद उप धारा (1) के अंतर्गत ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

2) इस अधिनियम के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश को अविलंब राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची - ए (A)

- (1) एकल प्रभाव-क्षेत्र के लिए मुख्य परिसर में कम से कम 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराना होगा और बहु प्रभाव क्षेत्र के लिए 25 एकड़, जो कि विश्वविद्यालय की स्थापना के दो वर्षों के अन्दर करना होगा। एकीकृत कैंपस में प्रेक्षागृह, कैफेटेरिया, छात्रावास इत्यादि ऐसी सुविधायें हो सकती हैं, अतः जमीन की आवश्यकता में तदनुसार बदलाव हो सकता है।
- (2) न्यूनतम एक हजार वर्ग मीटर का प्रशासकीय भवन, शैक्षिक भवन, जिसमें पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएँ हों वह अल्पतम 10 हजार वर्ग मीटर की होंगी, शिक्षकों के लिए पर्याप्त आवासीय व्यवस्था, अतिथि गृह, छात्रावास जिसे क्रमशः इतना बढ़ाया जायेगा कि विद्यार्थियों की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत उसमें रह सके, ऐसा अस्तित्व में आने के तीन वर्षों के भीतर करना होगा। अगर विश्वविद्यालय व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम कराता है तो उसके लिए वैधानिक निकाय द्वारा किये गये मानकों तथा मानदंडों को स्वीकार करना होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर विद्यमान संस्थान विस्तार /पुनरूद्धार/पुनर्रचना करेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।

अधिसूचना 13 मई, 2016

संख्या-एल0जी0-10/2016-91/लेज0--झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 मई 2016 को अनुमत अमिटी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

AMITY UNIVERSITY ACT, 2016

(JHARKHAND ACT-13,2016)

An Act to provide for the establishment and incorporation of the **AMITY UNIVERSITY** in the State of Jharkhand, and to confer the status of a Private University thereon and for matters connected therewith and incidental thereto:

WHEREAS it is expedient to provide for the establishment and incorporation of the AMITY UNIVERSITY at RANCHI, Jharkhand promoted by Ritnand Balved Education Foundation AKC

House, E-27, Defence Colony, Ring Road, New Delhi-110024(Trust/Society) created and registered under Registrar of the Societies, Delhi Registration No.-S/16683, May 1986, and to confer the status of a Private University thereon and for the matters connected therewith and incidental thereto;

It is hereby enacted in the Sixty-seventh year of the Republic of India, by the Legislature of Jharkhand, as follows:

1. Short Title, Extent and Commencement.

- (1) This Act may be called "AMITY UNIVERSITY ACT, 2016".
- (2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.

In this Act, unless the context otherwise requires:

- (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University as specified in section 24 of the Act:
- (b) "Annual Report" means the Annual report of the University as referred to in section 39 of the Act;
- (c) "Board of Management" means the Board of Management of the University as constituted under section 23 of the Act:
- (d) "Campus" means the area of the university in which it is established;
- (e) "Chancellor" means the Chancellor of the University appointed under section 12 of the Act;
- (f) "The Chief Finance and Accounts Officer" means the Chief Finance and Accounts Officer" of the University appointed under section 18 of the Act;
- (g) "Controller of Examinations" means the Controller of Examinations of the University appointed under section 19 of the Act;
- (h) "Constituent College" means a college or an institution maintained by the University;
- (i) "Employee" means employee appointed by the University; and includes teachers and others staff of the University or of a constituent college;
- (j) "Endowment fund" means the endowment fund of the University established under section 37 of the Act;
- (k) "Faculty" means group of academic departments of similar disciplines;
- (l) "Fee" means collection made by the university from the students for the purpose of any course of study and incidental thereto, in the University;
- (m)"General Fund" means the General fund of the University established under section 38 of the Act;

- (n) "Governing Body" means the Governing Body of the University constituted under section 22 of the Act;
- (o) "National Assessment and Accreditation Council" means National Assessment and Accreditation Council, Bengaluru, an autonomous institution of the University Grants Commission;
- (p) "Prescribed" means prescribed by the Statutes and the rules made under this Act;
- (q) "Pro Vice-Chancellor" means the Pro-Vice-Chancellor of the University appointed under section 15 of the Act;
- (r) "Registrar" means the Registrar of the University appointed under section 17 of the Act;
- (s) "Regulatory Body" means a body established by the Government of India for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council for Technical Education, National Council for Teacher Education, Medical Council of India, Bar Council of India, Pharmacy Council of India, National Assessment and Accreditation Council, Indian Nursing Council, Indian Council of Agriculture Research, Council of Scientific and Industrial Research, etc. and includes the Government or any such body constituted by the Government of India or the State Government;
- (t) "Rules" means the rule of the University made under this Act;
- (u) "Schedule" means schedule appended to this Act;
- (v) "Sponsoring Body" in relation to the university means(i) a society registered under Societies Registration Act 1860, or (ii) a public trust registered under Indian Trust Act 1882, or (iii) a society or trust registered under the law of any other State;
- (w) "State Government" means the State Government of Jharkhand;
- (x) "Statutes", "Ordinances", and "Regulations" mean respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under this Act;
- (y) "Student of the university" means a person enrolled in the university for taking a course of study for a degree, diploma, or other academic distinction duly instituted by the university, including a research degree;
- (z) "Teacher" means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor or such of the other person as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University or in a Constituent College or Institution and includes the Principal of a Constituent College or institution, in conformity with the norms prescribed by the University Grants Commission;
 - (aa) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under the University Grants commission Act, 1956;
 - (ab) "University" means the **AMITY UNIVERSITY**, Jharkhand established under this Act.
 - (ac) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the University appointed under section 13 of the Act:

(ad) "Visitor" means the Visitor of the University referred to in section 10 of the Act.

3. Establishment of University.

- (1) There shall be established the University by the name 'AMITY UNIVERSITY'
- (2) The headquarters of the University shall be within the State of Jharkhand and shall be situated at Ranchi.
- (3) The University shall start operation only after the State Government issues the letter of authorization.
- (4) The university shall meet the conditions mentioned in the schedule A of the Act within the stipulated time.
- (5) The Governing Body, the Board of Management, the Academic Council, the Chancellor, the Vice Chancellor, the Pro Vice Chancellor, the Registrar, the Teachers, the Chief Finance and Accounts Officer and such other officers or members or authorities so long as they continue to hold such office or membership of the University hereby constitute a body corporate by the name of the University.
- (6) The University shall function as non-affiliating University and they shall not affiliate any other college or institute for the conferment of degree, diploma and for grant of certificate to the students admitted therein.
- (7) The constituent colleges and institutions of the Sponsoring Body affiliated to and enjoying the privileges of any University immediately before the commencement of this Act shall cease to be affiliated from that University and shall be deemed to be withdrawn from such privileges from the date of commencement of this Act and shall be deemed to be admitted to the privileges of **AMITY UNIVERSITY**. University of the Sponsoring Body and all such colleges and institutions shall be the constituent colleges and institutions of **AMITY UNIVERSITY**.
- (8) The University shall be a body corporate by the name 'AMITY UNIVERSITY' and will have perpetual succession and common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire and hold property, to contract and shall, by the said name, sue or be sued.
- (9) The University shall not receive any grant-in-aid or other financial assistance from the State Government or the Central Government.

Provided that, the State Government or the Central Government may provide financial support, including through grants or otherwise

- (a) for research, development and other activities for which other State Government organizations are provided financial assistance, or
- (b) for any specific research or programme based activity.

4. Properties of the University and its Application.

- (1) On the establishment of the University the land and other movable and immovable properties acquired, created, arranged, or built by the University for the purpose of the University in the State of Jharkhand shall vest in the University.
- (2) The land, building and other properties acquired for the University shall not be used for any purpose other than that for which the same is acquired.
- (3) The properties, movable or immovable, of the university shall be administered by the Governing Body in such manner as may be provided for by the regulations.
- (4) The properties in the name of the university under sub-section (1) shall be applied for meeting the liabilities of the university in the event of dissolution or winding up of the university in such manner as may be prescribed in the rules.

5. Restrictions and obligations of the University.

- (1) The tuition fees for professional courses such as Engineering & Technology, Medicine, Management, etc., in the university shall be determined by the University under the supervision of the regulatory body notified by the State Government from time to time.
- (2) Admission in the University shall be strictly on the basis of merit. Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination and achievements in co-curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by the University or an association of the Universities conducting similar courses or by any agency of the State Government.

Provided that the admission in professional educational colleges or institutions of the University shall be governed under the provisions of the Regulatory Bodies.

- (3) The university shall allow merit scholarship to at least five percent of the total strength, to the students belonging to poor and economically backward classes. The relevant criteria for determining the poor and economically backward classes shall be such as may be determined by the State Government from time to time.
- (4) The university shall compulsorily make provisions for reservation of seats for the students domiciled in the State of Jharkhand to the extent of at least twenty five percent of the total students in the university. The reservation of seats shall be regulated by the laws and orders of the State Government from time to time.

- (5) The university shall make provisions for reservation of non-teaching posts in the university for the persons domiciled in the State of Jharkhand to the extent of at least fifty percent of the total number of non-teaching posts of the university. The reservation of seats shall be regulated by the laws and orders of the State Government from time to time.
- (6) The university shall appoint adequate number of teachers and officers in the University for maintaining the academic standards specified and shall ensure that the qualifications of such teachers or officers of the university shall not be lower than prescribed by the relevant Regulatory Bodies.
- (7) The university shall compulsorily place in the public domain every information in relation to the University which would be of interest to the students and other stakeholders *inter alia*, including the courses offered, number of seats under different categories, fees and other charges, facilities and amenities offered, faculty in place and such other relevant information.
- (8) The Convocations of the University may, for conferring degrees, diplomas or for any other purpose, be held in every academic year in the manner as may be prescribed by the Statutes.
- (9) The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC) within five years of its establishment and such other regulating bodies of Government of India which are connected with the courses taken up by the University and inform the State Government about the grade provided to the University. The University shall get renewed such accreditation from time to time.
- (10) Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply the conditions mentioned in Schedule A of this Act, and all the rules, regulations, norms, etc. of the regulating bodies of Government of India and State Government and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

6. Objects of the University.

The objects of the University shall be to disseminate and advance knowledge and skill by providing instructional, research and extension of facilities and in such branches of learning as it may deem fit and the University shall endeavour to provide to students and teachers the necessary atmosphere and facilities for the promotion of:

(a) Innovations in education leading to restructuring of courses, new methods of teaching, training, and learning including online learning, blended learning, continuing education and such other modes and integrated and wholesome development of personality;

- (b) Studies in various disciplines;
- (c) Inter disciplinary studies;
- (d) National integration, secularism and social equity and International understanding and ethics.

7. University open to all irrespective of sex, religion, class, colour, creed, or opinion.

No person shall be discriminated against or be excluded from any office of the university or from membership of any of its authorities or from admission to any course of study leading to a degree, diploma or other academic distinction on the grounds of sex, race, creed, class, caste, place of birth and religious belief or political or other opinion.

8. Powers and functions of the University.

- (i) To administer and manage the University, establish, administer and manage its constituent colleges and centres for research, education, training, extension and outreach including continuing education, distance learning and e-learning at its campus within the State of Jharkhand;
- (ii) To provide for research, higher education, professional education, teaching training, extension and outreach including continuing education, distance learning and e-learning in the fields of science, technology, humanities, social sciences, education, management, commerce, law, pharmacy, healthcare and any other fields;
- (iii) To conduct innovative experiments in educational technologies, teaching and learning methods, to collaborate with national and international institutions and to offer joint programmes with such institutes to constantly improve the delivery of education and to achieve international standards of education;
- (iv) To prescribe courses, curricula and methodologies including electronic and distance learning and provide for flexibility in the delivery of education.
- (v) To hold examination and confer degree, diploma or grant certificate and other academic distinctions or title on persons subject to such condition as the University may determine and to withdraw or cancel any such degree, diploma or certificates and other academic distinction or titles in the manner prescribed by the Regulations;
- (vi) to institute and award fellowships, scholarships, medals and prizes;
- (vii) to confer honorary degrees or other distinction on the manner prescribed by the Statutes;
- (viii) to establish schools, centres, institutes, college and conduct the programme and courses of study as are in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects;
- (ix) To declare as a constituent college any college, centre, institution imparting education as are in the opinion on the University necessary for the furtherance of its objects or to establish a new constituent college, centre, institution for the purpose;
- (x) To provide for printing, publication and reproduction of research, educational material and other works and to organize exhibitions, conferences, workshops and seminars;
- (xi) To establish knowledge resource centre;
- (xii) To sponsor and undertake research and educational programmes in the fields of science, technology, humanities, social sciences, education, management, commerce, law, pharmacy, healthcare and any other allied areas;

- (xiii) To collaborate or associate with any educational institution with like or similar objects;
- (xiv) To establish campuses including virtual campus for the purpose of achieving the objectives of the University;
- (xv) To undertake research and to obtain registration in respect of such research in the nature of patents, design rights and such or similar rights with the competent authorities;
- (xvi) To maintain linkages and collaborate with educational or other institutions in any part of the world having objects wholly or partially similar to those of the University, through exchange of students, researchers, faculty and staff and generally in such manner as may be conducive to their common objects;
- (xvii) To render services of research, training, consultancy and such other services as required for the purposes of the University;
- (xviii) To develop and maintain relationships with faculty, researchers, administrators and domain experts in science, technology, humanities, social sciences, education, management, law, commerce, pharmacy, healthcare and allied area for achieving the objects of the University;
- (xix) to make special arrangement in respect to women and other disadvantaged students as the University may consider desirable;
- (xx) To regulate the expenditure and to manage the finances and to maintain the accounts of the University;
- (xxi) To receive funds, movable and immovable properties, equipments, software and other resources from business, industry, other sections of society, national and international organization or any other source by transfers or as gifts, donations, benefactions or bequests for the purposes and objects of the University;
- (xxii) To establish, maintain and manage halls, hostels for students and quarters for the residence of faculty and staff;
- (xxiii) To construct, manage and maintain centres, complexes, auditorium, buildings, stadium for the advancement of sports, cultural, co-curricular and extra-curricular activities;
- (xxiv) To supervise and control the residence and regulate the discipline of students, faculty and staff of the University and to make arrangements for promoting their health, general welfare, social and cultural activities;
- (xxv) To fix, demand and receive or recover fees and such other charges as may be prescribed by the Statutes;
- (xxvi) To institute and award fellowships, scholarships, prizes, medals and other awards;
- (xxvii) To purchase or to take on lease or accept as gifts, bequests, legacies or otherwise any land or building or works which may be necessary or convenient for the purpose of the University and on such terms and conditions as it may think fit and proper and to construct or alter and maintain any such building or works;
- (xxviii)To sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or immovable, on such terms as it may think fit and consistent with the interest, activities and objects of the University;
- (xxix) To draw and accept, to make and endorse, to discount and negotiate promissory notes, bills of exchange, cheques and other negotiable instruments;
- (xxx) To raise and borrow money on bond, mortgages, promissory notes or other obligations or

securities founded or based upon all or any of the properties and assets of the University or without any securities and upon such terms and conditions as it may think fit and to pay all expenses out of the funds of the University,

9. Bar to affiliation.

- (1) The University shall not admit any college or institution to the privilege of affiliation.
- (2) The University may open any off campus, offshore campus, and study centre, examination centre in or out of the State of Jharkhand only after the prior approval of University Grants Commission or such regulatory body established by the Government or State or Central Government, as the case may be.
- (3) Courses under Distance mode can be started only after the prior approval of University Grants Commission or such regulatory body established by the Government.

10. The Visitor.

- (1) The Governor of Jharkhand will be the Visitor of the University
- (2) The Visitor shall, when present, preside at the convocation of the University for Conferring Degrees, Diplomas, charters, Designation and certificates.
- (3) The Visitor shall have the right to visit the University or any institution maintained by the University to ensure the standard of education, discipline, decorum and proper functioning of the university.

11. Officers of the University.

The following shall be the officers of the University:

- (a) The Chancellor
- (b) The Vice Chancellor
- (c) The Pro Vice Chancellor
- (d) Director/Principal
- (e) The Registrar
- (f) The Chief Finance and Accounts Officer
- (g) The Controller of Examinations
- (h) The Dean of Students Welfare
- (i) The Dean of Faculty
- (i) The Proctor, and
- (k) Such other officers as may be declared by the Statute to the officers of the University.

12. The Chancellor:

- (1) The Chancellor shall be appointed by the Sponsoring Body for a period of five years with the approval of the Visitor by following such procedures and on such terms and conditions as may be prescribed. On the expiry of the term, the Chancellor may be reappointed by the Sponsoring Body in consultation with the Visitor.
- (2) The Chancellor by virtue of his office shall be the head of the University.
- (3) The Chancellor shall preside over the meetings of the Governing Body and shall, when the Visitor is not present, preside over the convocation of the University for conferring degrees, diplomas, or other academic distinctions.
- (4) The Chancellor may in writing under his hand addressed to the head of the sponsoring body resign his office.
- (5) The Chancellor shall have the following powers, namely:
 - (a) to call for any information or record;
 - (b) to appoint the Vice Chancellor;
 - (c) to remove the Vice Chancellor in accordance with the provisions of this Act; and
 - (d) such other powers as may be conferred on him by this Act or Statutes made thereunder.

13. The Vice Chancellor:

(1) The Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor as per the qualifications prescribed by the University Grants Commission and shall hold office for a period of five years .Provided that a person appointed as Vice Chancellor shall retire from office during tenure of his office or extension thereof, if any when he completes the age of 70 years.

Provided further that after the expiry of the term of fiveyears, the Vice Chancellor shall be eligible for re-appointment for another term of five years.

- (2) The Vice Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general superintendence and control over the affairs of the university and shall execute the decisions of various authorities of the university.
- (3) In the absence of both the Visitor and the Chancellor, the Vice Chancellor shall preside over the convocation of the university.
- (4) The Vice Chancellor may, if he/she is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall convey to such authority the action taken by him on such matters;

Provided that if the authority of the University or any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice Chancellor under this sub section may prefer an appeal to the Chancellor within one month from the date of communication of such decision. The Chancellor may confirm, modify or reverse action taken by the Vice Chancellor.

(5) The Vice Chancellor shall exercise such powers and perform such other functions as may be prescribed.

14. Removal of the Vice Chancellor.

- (1) If at any time and after such inquiry as may be considered necessary, it appears to the Chancellor that the Vice Chancellor:
 - (a) has failed to discharge any duty imposed upon him by or under this Act, the Statutes, the Ordinances, or
 - (b) has acted in a manner prejudicial to the interests of the university, or
 - (c) is incapable of managing the affairs of the university, then the Chancellor may, notwithstanding the fact that the term of office of the Vice Chancellor has not expired, require the Vice Chancellor, by an order in writing stating the reason therefor, to resign his post from the date as may be specified in the order.
- (2) No orders under sub –section (1) shall be passed unless a notice stating the specific grounds on which such action is proposed, has been served and a reasonable opportunity to show cause against the proposed order has been given to the Vice Chancellor.

15. The Pro Vice-Chancellor:

- (1) The Pro Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.
- (2) The Pro Vice-Chancellor appointed under sub section (1) shall discharge his duties in addition to his duties as a Professor.
- (3) The Pro Vice-Chancellor shall assist the Vice Chancellor in discharging his duties as and when required by the Vice Chancellor.
- (4) The Pro Vice-Chancellor shall get honorarium of such amount as may be determined by the sponsoring body.

16. Director(s)/Principal(s):

The Director/Principal shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

17. Registrar:

- (1) The Registrar shall be appointed by the Chairperson of the Sponsoring Body in such manner, as may be specified in the Statutes. The Registrar shall possess the qualifications prescribed by the University Grants Commission.
- (2) The Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other power and perform such other functions as may be prescribed.
- (3) The Registrar shall be the ex officio Member Secretary of the Executive Council and the Academic Council but shall not have a right to vote.

18. The Chief Finance and Accounts Officer:

- (1) The appointment of the Chief Finance and Accounts Officer shall be made by the Chairperson of the Sponsoring Body in such manner as may be specified by the Statutes.
- (2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the Statutes.

19. The Controller of Examinations:

- (1) The Controller of Examinations shall be whole time officer of the university and shall be appointed by the Chancellor in accordance with the Statutes.
- (2) it shall be the duty of the Controller of Examinations:
- (a) to conduct examinations in a disciplined and efficient manner;
- (b) to arrange for the setting of question papers with strict regards to secrecy;
- (c) to arrange for the evaluation of answer sheets in accordance with the planned time schedule for results;
- (d) to constantly review the system of examinations in order to enhance the level of impartiality and objectivity with a view to make it better instrument for assessing the attainments of students;
- (e) to deal with any other matter connected with examinations which may, from time to time be assigned to him by the Vice Chancellor.
- **20. Other Officers**: Manner of appointment and power and duties of the other officers of the University including the Dean of Students Welfare, Dean of faculty, and Chief Proctor shall be such as may be prescribed.

21. Authorities of the University:

The following shall be the authorities of the University:

- (a) The Governing Body
- (b) The Board of Management
- (c) The Academic Council
- (d) The Finance Committee
- (e) The Planning Board
- (f) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

22. The Governing Body:

- (1) The Governing Body shall have the following members, namely:
 - (a) the Chancellor;
 - (b) the Vice-Chancellor;
 - (c) the Secretary to the Government, Department of Higher and Technical Education, Jharkhand, or his nominee;
 - (d) five persons nominated by the sponsoring body, out of which two shall be eminent educationists;
 - (e) one expert of management or technology from outside the university, nominated by the Chancellor; and
 - (f) one expert of finance, nominated by the Chancellor.
- (2) The Governing Body shall be the supreme authority and principal governing body of the University. It shall have the following powers, namely:
 - (a) to provide general superintendence and directions and to control the functioning of the university by using all such powers as are provided by this Act, Statutes, Ordinances, Regulations or Rules;
 - (b) to review the decisions of other authorities of the university in case they are not in conformity with the provisions of Act, Statutes, Ordinances, Regulations or Rules;
 - (c) to approve the budget and annual report of the university;

- (d) to lay down the extensive policies to be followed by the university;
- (e) to recommend to the sponsoring body for the dissolution of the university if a situation arises when there is no smooth functioning of the university in spite of best efforts; and
- (f) such other powers as may be specified by the Statutes.
- (3) The Governing Body shall meet at least three times in a calendar year.
- (4) The quorum of the meeting shall be four;

Provided that the Secretary to the Government, Department of Higher and Technical Education, Jharkhand, or in his absence, Director, Higher Education shall be present in each meeting in which decisions on issues involving Government policies/instructions are to be taken.

23. The Board of Management.

- (1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:
 - (a) the Vice-Chancellor;
 - (b) the Secretary to the Government, Department of Higher and Technical Education, Jharkhand or his nominee;
 - (c) two members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body;
 - (d) three persons, who are not the members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body;
 - (e) three persons, from amongst the teachers, nominated by the sponsoring body;
 - (f) two teachers, nominated by the Vice Chancellor.
- (2) The Vice Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.
- (3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be specified by the Statutes.
- (4) The quorum for the meeting of the Board of Management shall be five;

Provided that the Secretary to the Government, Department of Higher and Technical Education, Jharkhand, or in his absence, Director, Higher Education shall be present in each meeting in which decisions on issues involving Government policies/instructions are to be taken.

24. The Academic Council.

- (1) The Academic Council shall consist of the Vice Chancellor and such members as may be specified by the Statutes.
- (2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.
- (3) The Academic Council shall be the principal academic body of the university and shall, subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances, Regulations or Rules, coordinate and exercise general supervision over the academic policies of the university.
- (4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be specified by the Statutes.

25. The Finance Committee.

- (1) The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of the financial matters.
- (2) The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be such as may be prescribed

26. The Planning Board.

- (1) The Planning Board shall be the principal planning body of the University and shall ensure that the infrastructure and academic support system meets the norms of the University Grants Commission or the respective Councils.
- (2) The constitution of the planning board, term of office of its members and its power and functions shall be such as may be prescribed.

27. Other Authorities.

The constitution, powers and functions of other authorities of the University, shall be such as may be prescribed.

28. Disqualification for membership of an authority or body.

A person shall be disqualified from being a member of any of the authorities or bodies of the university, if he/she:

- (a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
- (b) is an undischarged insolvent;
- (c) has been convicted of any offence involving moral turpitude;
- (d) has been punished for indulging or in promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

29. Vacancies not to invalidate the constitution of, or the proceedings of any authority or body of university.

No act or proceedings of any authority of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy in or defect in the constitution of any authority or body of the University.

30. Constitution of Committees.

The authorities of the University may constitute such committee with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed shall be such as may be prescribed by the Statutes.

STATUTES, ORDINANCE AND REGULATIONS

31. First Statute.

- (1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the First Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:
 - (a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as maybe constituted from time to time;
 - (b) the terms and conditions of appointment of the Chancellor, the Vice Chancellor and their powers and functions;
 - (c) the manner and terms and conditions of appointment of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer, their powers and functions;
 - (d) the manner and terms and conditions of appointment of other officers and teachers and their powers and functions;
 - (e) the terms and conditions of service of employees of the University;
 - (f) the procedure for arbitration in cases of disputes between employees or students and the University;
 - (g) the conferment of honorary degrees;
 - (h) the provisions regarding exemption from payment of tuition fee and awarding scholarships and fellowships to the students;
 - (i) framing of policy for admission, including regulation of reservation of seats; and
 - (j) fees to be charged from students.
- (2) The First Statutes of the University shall be made by the Governing Body and shall be submitted to the State Government for its approval.

- (3) The State Government shall consider the First Statutes, submitted by the University and shall approve it within sixty days from the date of its receipt, with or without modifications as it may deem necessary.
- (4) The University shall communicate its agreement to the First Statutes as approved by the State Government, and if it desires not to give effect to any or all the modifications made by the State Government under sub-section (3), it may give reasons therefore and after considering such reason, the State Government may or may not accept the suggestions made by the University.
- (5) The State Government shall publish the First Statutes, as finally approved by it, in the Official Gazette, and thereafter it shall come into force from the date of such publication.

32. Subsequent Statutes.

- (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereafter, the subsequent Statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:-
 - (a) Creation of new authorities of the University;
 - (b) Accounting policy and financial procedure;
 - (c) Representation of teachers in the authorities of the University;
 - (d) Creation of new departments and abolition or restructuring of existing departments;
 - (e) Institution of medals and prizes;
 - (f) Procedure for creation and abolition of posts;
 - (g) Revision of fees;
 - (h) Alteration of the number of seats in different disciplines; and
 - (i) All other matters which by or under the provision of this Act required to be prescribed by the Statutes.
 - (2) The Statutes of the University other than the First Statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.
 - (3) The Statutes made under sub-section (2) shall be submitted to the State Government and it may approve or, if considers necessary, give suggestions for modification as far as possible within two months from the date of receipt of the Statutes.

- (4) The Governing Body shall consider the modifications suggested by the State Government and return the Statutes to it with its agreement to such changes or with its comments on the suggestions made by the State Government.
- (5) The State Government shall consider the comments of the Government Body and may approve the Statutes with or without modifications and it shall be published by it in the Official Gazette, and shall come into force from the date of such publication.

33. First Ordinance.

- (1) Subject to the provisions of this Act, the rules and the Statutes made thereunder, the First Ordinances may provide for all or any of the following matter, namely:-
 - (a) The admission of students to the University and their enrolment as such;
 - (b) The courses of study to be laid down for degrees, diplomas and certificates of the University;
 - (c) The award of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same;
 - (d) The conditions for award of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;
 - (e) The conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies examiners and moderators;
 - (f) Fees to be charged for the various courses examinations, degrees or diplomas of the University;
 - (g) The conditions of residence of the students of the University;
 - (h) Provision regarding disciplinary action against the students;
 - (i) The creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;
 - (j) The manner of co-operation and collaboration with other Universities and institutions of higher education;
 - (k) Such other matters which are required to be provided by the Ordinances by or under this Act.

- (2) The First Ordinances of University shall be made by the Chancellor which after being approved by the Board of Management, shall be submitted to the State Government for its approval.
- (3) The State Government shall consider the First Ordinance submitted by the Chancellor under sub-section (2) within sixty days from the date of its receipt and may approve it or give suggestions for modifications therein.
- (4) The Chancellor shall either modify the Ordinances incorporating the suggestion of the State Government or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the State Government and shall return the First Ordinances along with such reasons, if any, to the State Government and on receipt of the same, it shall consider the comments of the Chancellor and may approve the First Ordinances of the University with or without such modifications and it shall be published by the State Government in the Official Gazette, and it shall come into force from the date of such publication.

34. Subsequent Ordinances.

- (1) All Ordinances other than the First Ordinances shall be made by the Academic Council which after being approved by the Governing Body shall be submitted to the State Government for its approval.
- (2) The State Government shall consider the Ordinances submitted by the Academic Council under sub-section (1) as far as possible within two months from the date of its receipt and may approve it or give suggestions for modifications therein.
- (3) The Academic Council shall either modify the Ordinances incorporation the suggestion of the State Government or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the State Government and shall return the Ordinances along with reason, if any, to the State Government and on receipt of the same, it shall consider the comments of the Academic Council and may approve the Ordinances with or without modifications and it shall be published by it in the Official Gazette, and shall come into force from the date of such publication.

35. Regulations.

The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Governing Body make Regulation, consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances made thereunder, for the conduct of business of the each such authority and committee constituted by each such authority.

36. Powers of State Government to give directions.

- (1) The State Government may, for the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.
- (2) The State Government shall communicate its recommendations to the University on the basis of such assessment for corrective action. The University may adopt such corrective measures and make efforts so as to ensure the compliance of the recommendations.
- (3) The State Government may give such directions as it may deem fit if the University fails to comply with the recommendation made under sub-section(2) within a reasonable time. The directions given by the State Government shall be immediately complied by the University.

FUNDS OF UNIVERSITY

37. Endowment Fund.

- (1) The sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the university with an amount specified in the Letter of Intent.
- (2) The Endowment Fund shall be used as security deposit to ensure that the university complies with the provisions of this Act and functions as per the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances. The State Government shall have the power to forfeit, a part or whole of the Endowment Fund in case the university or the sponsoring body contravenes the provisions of this Act, Statutes, the Ordinances, the regulations or the rules made there under.
- (3) The university may utilize the income from the Endowment Fund for the development of infrastructure of the university and not to meet the recurring expenditure of the university.
- (4) The amount of Endowment Fund shall be invested in such instruments as the Government may prescribe and kept invested until the dissolution of the university.
- (5) In case of investment in long term security, the certificates of the securities shall be kept in the safe custody of the Government and in case of deposit in the interest bearing Personal Deposit account in the Government Treasury, deposit shall be made with the condition that the amount shall not be withdrawn without the permission of the Government.

38. General Fund.

- (1) The university shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which the following shall be credited, namely:
 - (a) Fees and other charges received by the university;
 - (b) Any contribution made by the sponsoring body;
 - (c) Any income received from consultancy and other work undertaken by the university in pursuance of its objective;
 - (d) Trusts, bequests, donations, endowments and any other grants; and
 - (e) All other sums received by the university.
- (2) The General Fund shall be utilized for the following objects, namely:
 - (a) For the repayment of debts including interest charges thereto incurred by the university for the purposes of this Act and the Statutes, the Ordinances, the Regulations, and the Rules made there under with the prior approval of the Governing Body;
 - (b) To upkeep the assets of the university;
 - (c) For the payment of the fee for audit of the funds created under sections 7 and 8;
 - (d) To meet with the expenses of any suit or proceedings by or against the university;
 - (e) For the payment of salaries, allowances, provident fund contributions, gratuity and other benefits to officers, employees, and members of the teaching and research staff:
 - (f) For the payment of travelling and other allowances of the members of the Governing Body, the Executive Council, the Academic Council, other authorities and the members of any committee appointed by any of the authority or the Chairperson of the sponsoring body or the Chancellor;
 - (g) For the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to the students belonging to economically weaker sections of the society or research associates, trainees or, as the case may be, in any student otherwise eligible for such awards under the Statutes, the Ordinances, the Regulations or the Rules;
 - (h) For the payment of any expenses incurred by the university in carrying out the provisions of Act, Statutes, the Ordinances, the regulations or the Rules;
 - (i) for the payment of cost of capital, not exceeding the prime lending rate from time to time of the State Bank of India, incurred by the sponsoring body for setting up the university and the investments made therefore;

- (j) for the payment of charges and expenditure relating to the consultancy work undertaken by the university in pursuance of this Act, Statutes, the Ordinances, the regulations or the rules;
- (k) for the payment of any other expenses including service fee payable to any organization charged with the responsibility of providing any specific service, including the managerial services to the university, on behalf of the sponsoring body, as approved by the Governing Body to be an expense for the purposes of the university;

Provided that no expenditure shall be incurred by the university in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Governing Body, without prior approval of the Governing Body.

ACCOUNTS, AUDIT AND ANNUAL REPORT

39. Annual Report.

The Annual Report of the University shall be prepared by the University which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objects and shall be submitted to the State Government.

40. Audit and Annual Accounts.

- (1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared by the University and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.
- (2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the State Government.

WINDING UP OF UNIVERSITY

41. Winding up of University.

- (1) If the sponsoring body proposes to dissolve itself according to the provisions of law governing its constitution or incorporation; it shall give at least six months prior notice to the State Government.
- (2) The State Government shall, on receipt of such notice make such arrangements as may be necessary, for the administration of the University from the date of dissolution of the sponsoring body till the completion of syllabus by the last batch of students admitted to the University and may also cause the functioning of the University to continue by appointing an administrator in place of the sponsoring body, who shall be entrusted with the powers, duties and functions of the Sponsoring body as prescribed under this Act.

42. Dissolution of University.

(1) The Sponsoring Body who intends to dissolve the University shall give a notice to that effect in the prescribed manner to the State Government. The State Government, after due consideration, may dissolve the University in the manner as may be prescribed;

Provided that the dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or, as the case may be, awards.

- (2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the Sponsoring Body in the manner as may be prescribed.
- (3) Where the State Government decides under sub-section (1) to dissolve the University, it may vest the powers of the Governing Body in the prescribed manner to other societies having similar objects till the dissolution of the University takes effect under the proviso to sub-section (1).

43. Special powers of State Government under certain circumstances.

- (1) Where the State Government is of the opinion that the University has contravened any of the provisions of this Act, the Rules, the Statutes or the Ordinances made thereunder or has violated any of the direction issued by it under this Act or a situation of financial mismanagement or mal-administration has arisen in the University, it shall issue the notice requiring the University to show cause within forty-five days as to why an administrator be not appointed.
- (2) On receipt of reply of the University on the notice issued under sub section (1), if the State Government is satisfied that there is a prima facie case of contravention of any of the provision of this Act, the Rules, the Statutes or the Ordinances made thereunder or violation of directions issued by it under this Act or there is financial mismanagement or maladministration, it shall make an order of such inquiry as it may consider necessary.
- (3) The State Government shall, for the purposes of any such inquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.
- (4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely:-
 - (a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
 - (b) Requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;

- (c) Requisitioning any public record from any court or office.
- (5) On receipt of the inquiry report from the officer or officers appointed under subsection(3), if the State Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Act, the Rules, the Statutes or the Ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or a situation of financial mismanagement and maladministration has arisen in the University which threatens the academic standard of the University, it may appoint an administrator.
- (6) The administrator appointed under sub-section (5) shall exercise all the powers and perform all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Act and shall administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded with degrees, diplomas or, as the case may be, awards.
- (7) After having been awarded the degrees, diplomas or, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to that effect to the State Government.
- (8) On receipt of the report under sub-section (7), the State Government shall dissolve the University and on dissolution of the University, all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body.

MISCELLANEOUS

44. Power of the State Government to make Rules.

- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) All rules made under this section shall be laid for not less than thirty days before the State Legislature as soon as may be after they are made and shall be subject to rescission by the State Legislature or to such modification as the State Legislature or to such modification as the State Legislature may make during the session in which they are so laid or the session immediately following.

45. Completion of courses of students.

Notwithstanding anything contained in this Act or the Regulations, any student of the constituent colleges or institutions of the University specified in the Schedule and affiliated to any University who immediately before the commencement of this Act was studying or was eligible for any examination of that University shall be permitted to complete his course in preparation therefore, and the University shall provide for the instruction, teaching, training and examination of such students, in accordance with the courses of studies of the respective University in such manner and for such period as may be prescribed.

46. Power to remove difficulties.

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions not inconsistent with the provisions of the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Provided that no notification order under sub section (1) shall be made after the expiration of a period of three years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

SCHEDULE A

- (1) Acquire not less than 10 acres of land for its main Campus, if single-domain, and 25 acres of land, if multi-domain within two years after starting the functioning of the university. An integrated campus may have certain facilities in common such as auditorium, cafeteria, hostels, etc. and hence the land requirement may vary accordingly.
- (2) Construct administrative building of at least 1000 sq. mtrs., academic building including library, lecture theatres, laboratories of at least 10000 sq. mtrs., adequate residential accommodations for teachers, guest houses, hostels which shall gradually be increased to accommodate at least 25% of the total student strength in each course within 3 years of its coming into existence. In case the University is conducting professional programmes of study, prevailing norms and standards of respective statutory body shall be applicable. Existing institutes must undertake expansion/renovation/restructuring to meet the prescribed norms of the State Government.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।
